

बिहार सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

पत्रांक— 01/स्था०(मु०) 7-01/2023...११४.....सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक—१३/०१/२५

प्रेषक,

वैभव श्रीवास्तव, मा०प्र०से०,

निदेशक,

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,

बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय,
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार सूचना सेवा के पदाधिकारियों की अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच पर होने वाले व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार वित्त सेवा एवं बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारियों की तरह बिहार सूचना सेवा के वैसे पुरुष एवं महिला पदाधिकारी, जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, के अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच हेतु स्वास्थ्य विभाग के ज्ञापांक-381(14), दिनांक-12.02.2020 के आलोक में क्रमशः 2000/- (दो हजार) रुपये एवं 2200 (दो हजार दो सौ) रुपये का दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित सरकारी अस्पतालों/जाँच संस्थानों में संपादित किये जाने वाले जाँच के व्यय की प्रतिपूर्ति पदाधिकारियों को भुगतान किये जाने वाले वेतन बजट शीर्ष के चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई मद में की जायेगी।

विश्वासभाजन



(वैभव श्रीवास्तव)

निदेशक,

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—११४

सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक—१३/०१/२५

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

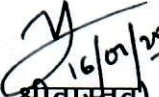


(वैभव श्रीवास्तव)

निदेशक,

T/S
कृ. नि. क्र.
23/01/25

ज्ञापांक— 228 सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक— 23/01/25
प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/निदेशक के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों/आई०टी० मैनेजर, श्री प्रफुल्ल कुमार सुधांशु, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(वैभव श्रीवास्तव)
निदेशक,

ज्ञापांक— 228 सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक— 23/01/25
प्रतिलिपि:— सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(वैभव श्रीवास्तव)
निदेशक,

ज्ञापांक— 228 सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक— 23/01/25
प्रतिलिपि:— सभी प्रमण्डलीय उप जन सम्पर्क निदेशक (क्षेत्र)/सभी जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(वैभव श्रीवास्तव)
निदेशक,